मध्य प्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 44-15/20/2010/20-2/ भोपाल, दिनॉक 4 /12/2017

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

समस्त संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों हेतु ऑन लाईन आवेदन व्यवस्था।

संदर्भ- 1.म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 44-15/20/2010/20- भोपाल दि 09.11.16।

2 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20- भोपाल दि. 20.07.17।

विभाग के संदर्भित आदेश-1 में अतिथि शिक्षकों को रखने हेतु दिशानिर्देश उल्लेखित है। संदर्भित आदेश-2 के अनुसार अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदकों के ऑनलाईन पंजीयन उपरांत संकुल प्राचार्य से सत्यापन की कार्यवाही एन.आई.सी. के सहयोग से तैयार ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा चुकी है।

2. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरांत अतिथि शिक्षक पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए-

2.1 रिक्तियों का प्रदर्शन-

प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शालावार रिक्त पदों की जानकारी एजूकेशन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। सेवा निवृत्ति/युक्तियुक्तकरण/ स्थानांतरण/संविलियन के फलस्वरूप इन रिक्तियों में परिवर्तन संभावित है, जो कि समय-समय पर अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

2.2 अभ्यार्थियों द्वारा शाला चयन-

कंडिका-1 में सत्यापन प्रक्रिया मे सत्यापित आवेदक निर्धारित तिथि तक अधिकतम 20 शालाओं का चयन (च्वाईस फिलिंग) कर सकेगें। आवेदक अपनी योग्यता के अनुसार प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों हेतु विद्यालय की प्राथमिकता क्रम का चयन कर सकते है। जिन स्कूलों में पद रिक्त नहीं है वहॉ के लिये भी संभावित रिक्तियो हेतु पेनल तैयार किया जाना है, अत: ऐसे स्कूलों में जहॉ पद वर्तमान में रिक्त नही है, उन शालाओं के लिये भी अपना विलक्प भर सकते है।

2.3 शालावार पेनल तैयार करना

कंडिका 2.2 के कार्यवाही के पश्चात, संदर्भित आदेश-1 के अनुसार वरीयता का क्रम निम्नानुसार होगा:-

प्रथम वरीयता सर्वप्रथम सेवानिवृत एवं प्रशिक्षित (डी.एड./बी.एड.) शिक्षको को अधिकतम 65 वर्ष की उम्र की सीमा तक अवसर दिया जाये।

द्वितीय वरीयता म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियम-2005 में अद्यतन संशोधन अनुसार विहित की गयी शैक्षणिक योग्यता यथा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के विरुद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिये हायर सेकेण्डरी के साथ डी.एड./डी.एस.ई./बी.टी.सी.। संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के विरुद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिये सम्बंधित विषय में स्नातक के साथ डी.एड./बी.एड.तथा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के विरुद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिये सम्बंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ बी.एड.।

तृतीय वरीयता उपरोक्तानुसार दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक, योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर ।

स्कोर कार्ड-

2.4.1 बिन्दु क्र-2.3 में उल्लेखित वरीयताक्रम के निर्धारण के लिये अंको का अधिभार निम्नानुसार होगा:-

विद्यालय का स्तर	पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	**प्रथम वरीयता**	**द्वितीय वरीयता**		**तृतीय वरीयता**	कुल योग (300)
		सेवानिवृत शिक्षक	व्यावसायिक योग्यताधारी		न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी	
			डी.एड.	बी.एड.		
1	2	3	4	5	6	7
प्रा.शा.	उ.मा.वि.	100	100	0	प्रतिशत अंक	3+4+6
मा.शा/हाईस्कूल	स्नातक	100	100	100	प्रतिशत अंक	3+ (4or 5) +6
उ.मा.वि.	स्नातकोत्तर	100	0	100	प्रतिशत अंक	3+5+6

उदाहरण सेवानिवृत शिक्षक(UDT)(आयु 65 वर्ष से कम है) स्नातक में 58% अंक है तथा BEd उपाधि है, के स्कोर की गणना होगी:- सेवानिवृत शिक्षक (100 अंक)+बी.एड.(100 अंक)+स्नातक (58 अंक)=258/300

2.4.2 आवेदक प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई/हायर सेकेन्डरी के लिये पृथक - पृथक स्कोरकार्ड पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है।

2.5 **विद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही**

अतिथि शिक्षक की व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा उपयुक्त अभ्यर्थी की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने में विद्यालय को फेसिलिटेट करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है जिसके तहत संलग्न कार्यवाही विद्यालय द्वारा की जाएगी।

2.5.1 संस्था प्रमुख अपने विद्यालय के लिये गुणानुक्रम के आधार पर पोर्टल जनरेटेड पैनल को डाउनलोड करेंगे।

2.5.2 शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ की बैठक में पैनल को प्रस्तुत कर आवश्यक अनुमोदन लिया जाए।अनुमोदन उपरांत पैनल को विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

स्कोर कार्ड-

2.4.1 बिन्दु क्र-2.3 में उल्लेखित वरीयताक्रम के निर्धारण के लिये अंको का अधिभार निम्नानुसार होगा:-

विद्यालय का स्तर	पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता		तृतीय वरीयता	कुल योग (300)
		सेवानिवृत शिक्षक	व्यावसायिक योग्यताधारी		न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी	
			डी.एड.	बी.एड.		
1	2	3	4	5	6	7
प्रा.शा.	उ.मा.वि.	100	100	0	प्रतिशत अंक	3+4+6
मा.शा/हाईस्कूल	स्नातक	100	100	100	प्रतिशत अंक	3+ (4or 5) +6
उ.मा.वि.	स्नातकोत्तर	100	0	100	प्रतिशत अंक	3+5+6

उदाहरण सेवानिवृत शिक्षक(UDT)(आयु 65 वर्ष से कम है) स्नातक में 58% अंक है तथा BEd उपाधि है, के स्कोर की गणना होगी:- सेवानिवृत शिक्षक (100 अंक)+बी.एड.(100 अंक)+स्नातक (58 अंक)=258/300

2.4.2 आवेदक प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई/हायर सेकेन्डरी के लिये पृथक - पृथक स्कोरकार्ड पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है।

विद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

2.5 अतिथि शिक्षक की व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा उपयुक्त अभ्यर्थी की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने में विद्यालय को फेसिलिटेट करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है जिसके तहत संलग्न कार्यवाही विद्यालय द्वारा की जाएगी।

2.5.1 संस्था प्रमुख अपने विद्यालय के लिये गुणानुक्रम के आधार पर पोर्टल जनरेटेड पैनल को डाउनलोड करेंगे।

2.5.2 शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ की बैठक में पैनल को प्रस्तुत कर आवश्यक अनुमोदन लिया जाए।अनुमोदन उपरांत पैनल को विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायगा।

2.5.3 पद रिक्तता की स्थिति मे संस्था प्रमुख द्वारा शाला प्रबंध समिति/ एस.एम.डी.सी. के सचिव के हैसियत से अनुमोदित पेनल से वरिष्ठता के क्रम मे आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

2.5.4 आवेदक को आमंत्रित किये जाने हेतु संस्था प्रमुख द्वारा पोर्टल का उपयोग किया जायेगा। सूचना प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अन्य माध्यमों यथा दूरभाष, मोबाईल अथवा पत्र का भी उपयोग किया जा सकता है।

2.5.5 अध्यापन हेतु आमंत्रित किये गये आवेदकों से पोर्टल जनरेट आवेदन पत्र, अंकसूची तथा आधार कार्ड की स्वसत्यापित प्रति प्राप्त करें तथा आवेदक द्वारा ऑनलाईन में दिये गये विवरण की जांच मूलप्रति से करें।

2.5.6 आवेदक का रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक के रूप मे कार्य करने हेतु उपस्थित होने पर संस्था प्रमुख पोर्टल पर सूचना प्रदर्शित करेगें। अतिथि शिक्षक को कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।

2.5.7 शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि शाला में रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक का आचरण शिक्षक के अनुरूप हो।

2.5.8 शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ की राय में यदि अभ्यर्थी शिक्षण कार्य हेतु स्वस्थ नहीं है, तो वे आवेदक से स्वास्थ्य जांच प्रमाणपत्र की मांग कर सकेंगे एवं प्रमाण पत्र न दे पाने की स्थिति में पैनल में से अगले आवेदक को आमंत्रित किया जाए।

2.5.9 शाला द्वारा अभ्यर्थी से अतिथि शिक्षक के रूप मे उपस्थिति के पूर्व इस आशय का शपथपत्र लिया जाए, कि सम्बन्धित के द्वारा किसी अंन्य संस्था में अतिथि शिक्षक के रुप में कार्य नहीं किया जा रहा है।

2.6 **संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -** संकुल प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संकुल के अंतर्गत समस्त विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में बिन्दु क्र-2.5 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

2.7 उपरोक्त कार्यवाही हेतु लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी।

2.8 अतिथि शिक्षकों के मानदेय व्यवस्था

अतिथि शिक्षकों की शाला में उपस्थिति के आधार पर डी.डी.ओ. द्वारा ऑनलाईन देयक तैयार किये जायेंगे। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के विरूद्ध यदि किसी भी अतिथि शिक्षकों के मानदेय आहरित किया जाता है, तो डी.डी.ओ. के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

4/12/17

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. 44-15/20/2010/20-2/ भोपाल, दिनांक 4 /12/2017

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति विभाग।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास, भोपाल।
4. कलेक्टर, समस्त जिले।
5. मुख्य कार्यपालन, अधिकारी जिला पंचायत, समस्त जिले।
6. श्री सुनील जैन, राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, भोपाल को पोर्टल को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु तैयार करने का कष्ट करे।
7. समस्त संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास।
8. समस्त सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक आदिवासी विकास/ जिला परियोजना समन्वयक ।
9. समस्त बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र।
10. आर्डरबुक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

4/12/17

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग